

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)  
पंचायत रिवीजन संख्या: 23/2021  
दायर दिनांक: 08.06.2021  
निर्णय दिनांक 16.01.2026

—: अनवान :-

श्री अनिल पिता कालुलाल जी महाजन निवासी नीलकमल बस स्टेण्ड  
नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. श्री पन्नालाल पिता भगवान लाल जी लखारा निवासी खमनोर तहसील  
खमनोर जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत खमनोर पंचायत समिति खमनोर तहसील खमनोर जिला  
राजसमन्द
3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मेनेजर उदयपुर जिला उदयपुर  
(विलोपित)

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम ग्राम पंचायत  
खमनोर द्वारा जारी पट्टा संख्या 5869 बुक न० 51 दिनांक 22.07.1985 के  
विरुद्ध निगरानी

उपस्थित:-

- 1- श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
- 2- श्री जगदीश पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01
- 3- श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार द्वारा निगरानी  
याचिका अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत खमनोर  
द्वारा जारी पट्टा संख्या 5869, बुक संख्या 51 दिनांक 22.07.1985 के विरुद्ध  
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के सहखातेदारी की कृषि भूमि राजरव ग्राम  
खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 1613 की भूमि स्थित  
हैं उक्त भूमि के पश्चिम की तरफ नेशनल हाईवे का रोड निकला हुआ है जो  
खमनोर गांव से विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी की तरफ जाता है इस नेशनल हाईवे के



*delh*

मध्य बिन्दु से लगती हुई यानि करीब 75 फिट के पश्चात् प्रार्थी की कृषि भूमि स्थित हैं। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के प्रत्येक बिन्दु से नेशनल हाईवे की भूमि यानि सड़क से आवागमन करने का अधिकार हैं। राधेश्याम, देवीलाल व रूपलाल बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये लोग नेशनल हाईवे की भूमि के मध्य से 75 फिट के भीतर ग्राम पंचायत के नाम की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराने लगे तो इसकी जैसे ही जानकारी हुई तो इनकी शिकायत ग्राम पंचायत खमनोर, तहसीलदार साहब खमनोर में की गई और इनके द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाया गया तो ये लोग उक्त भूमि का विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 2 से कराने एवं ग्राम पंचायत से आक्षेपित पट्टा प्राप्त होने का कथन किया तथा मांगीलाल पिता खेमा लौहार तथा मोहनलाल पिता उदा जी नाई के भी पट्टे होने का कहा तो प्रार्थी को आक्षेपित पट्टा की जानकारी हुई जो विपक्षी संख्या 1 के नाम निशुल्क आवंटन होने संबंधित प्रतिलिपि बताई जिसमें ग्राम सचिव के कोई हस्ताक्षर नहीं थे। इस पर ग्राम पंचायत से प्रार्थी की आराजी से नेशनल हाईवे की भूमि में आक्षेपित पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उक्त पट्टे संबंधित पत्रावली की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने आक्षेपित पट्टे संबंधित कोई भी दस्तावेज ग्राम पंचायत में नहीं होने संबंधित पत्र दिया। आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 एवं तत्कालीन सरपंच ने मिलीभगत कर बेशकिमती नेशनल हाईवे की परिधी में आने वाली भूमि को हड़पने के लिए उक्त फर्जी पट्टा निशुल्क बनाया हैं। विपक्षी संख्या 1 ने अवैध व फर्जी रूप से मिलीभगत से अवैध व शुन्य पट्टा बनवाया तथा उक्त अवैध पट्टे के आधार प्रार्थी की भूमि में नेशनल हाईवे के प्रत्येक बिन्दु से आवागमन करने में रूकावट कारित करने के आशय से निर्माण कार्य किया व कर रहे हैं तथा ग्राम पंचायत को अवैध कृत्य करने से रोकने एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर निर्माण कार्य को हटवाने का कहने पर भी विपक्षी संख्या 1 के प्रभाव के कारण कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उक्त अवैध पट्टे के आस्तित्व में रहने से प्रार्थी के हक अधिकारो पर संकट के बादल छाये रहेंगे तथाकथित पट्टा की फोटो प्रति देखने से निशुल्क आवासीय आवंटन है, राजस्थान पंचायतीराज नियमो के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की पत्रावली कायम कर नियमानुसार ही पट्टा जारी किया जाता हैं तथा पट्टे पर सरपंच व सचिव दोनो के हस्ताक्षर करना आवश्यक हैं परन्तु आक्षेपित पट्टा की ऐसी कोई पत्रावली पंचायत में निर्मित नहीं हैं तथा आक्षेपित पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं हैं जो प्रथम दृष्टया ही फर्जी होकर काबिल खारीज के हैं। विपक्षी संख्या 1 के अलग से मकान स्थित है, वह इस तरह के पट्टे की पात्रता का अधिकारी ही नहीं था तथाकथित पट्टा अवैध होकर विधितः शुन्य है। तथाकथित पट्टे पर कोई पत्रावली नम्बर अंकित नही है। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी पट्टा 5869 बुक न0 51 दिनांक 22.07.1985 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत खमनोर से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार/अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पुरोहित ने



*(Handwritten signature)*

वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी तथा गैर निगराकार/अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल जाट ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। गैर निगराकार/अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा ने उपस्थिति देकर दिनांक 14.07.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपटित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 03 का नाम विलोपित किया जावे। जिसे दिनांक 31.10.2025 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 03 का नाम विलोपित करने के आदेश दिये गये।

गैर निगराकार/अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खमनोर के बस स्टेण्ड से हल्दीघाटी की ओर एक आम सड़क है, जिसके पूर्व दिशा में पंचायत की आबादी भूमि आराजी नम्बर 4604/1600 स्थित है, निगराकार को सड़क से उसकी भूमि में जाने जाने के पर्याप्त मार्ग उपलब्ध है जबकि प्रार्थी एक भूमाफिया है, निगराकार बहुत ज्यादा अमीर होकर राजनैतिक सम्बन्ध बनाये रखता है और विपक्षी संख्या 1 गरीब व्यक्ति है, जो मजदूरी करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को लागू हुआ, और पट्टा दिनांक 22.07.1985 को जारी हो चुका था, जिससे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के कानूनी प्रावधान व धारा व नियम इस पर लागू नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि 4604/1600 आराजी संख्या पर कुल 13 पट्टेदार हैं, उक्त पट्टे सन 1983 से 1985 के मध्य जारी किये गये। जिस पर सभी आवासीय मकान बने हुऐ हैं, उक्त पट्टे सभी ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर व सील से जारी होकर कब्जा प्रदान करवाया गया था। चूंकि मांगीलाल द्वारा पट्टे की सभी शर्तें पूरी की गयी हैं, जिसमें उसने कच्चा मकान बना रखा था, और उस मकान में 40 वर्षों तक निवासरत था। जिससे उसे स्वामित्व व आधिपत्य प्राप्त हो चुका है। निगराकार द्वारा उक्त निगरानी केवल अपने रूपयों के बल पर गरीब विपक्षीगण को परेशान कर उक्त ग्राम पंचायत की भूमि को राजनैतिक हथकण्डे अपनाकर हड़पने का प्रयास है। क्योंकि प्रार्थी के सहखातेदारी भूमि जिसके आराजी नम्बर 1613 है, वह अवाप्त हो चुकी है, एवं प्रार्थी द्वारा उसका मुआवजा भी प्राप्त हो चुका है, क्योंकि प्रार्थी की व विपक्षीगण के मध्य स्थित भूमि जो प्रार्थी निगरानी की सहखातेदारी भूमि मे से 162 ई मेघा हाईवे निकल चुकी है, जिससे शेष बची हुई भूमि पूरी तरह से हाईवे संख्या 162 ई पर स्थित हो चुकी है, जिससे निगरानी का हितबद्ध श्रेणी अबेट हो चुका है। जबकि पट्टे पर पट्टा संख्या तथा बुक नम्बर और दिनांक व सरपंच हस्ताक्षर व सील मौजूद है जिसमें आबादी भूमि 4604/1600 है। अतः प्रार्थी/निगराकार द्वारा पट्टेदार बीपीएल परिवार से सम्बन्धित होकर स्वयं के मकान से वंचित था तथा तत्कालीन पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया, जिसे दुराशयपूर्वक, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अत्यधिक विलम्ब से विपक्षी को झूठे आरोपो व मिलीभगत पर प्रश्नगत किया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका सब्यय निरस्त फरमायी जाये।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार/प्रार्थी ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन



*[Handwritten signature]*

किया कि प्रार्थी के सहखातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 1613 की भूमि स्थित हैं उक्त भूमि के पश्चिम की तरफ नेशनल हाईवे का रोड निकला हुआ हैं जो खमनोर गांव से विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी की तरफ जाता हैं इस नेशनल हाईवे के मध्य बिन्दु से लगती हुई यानि करीब 75 फिट के पश्चात् प्रार्थी की कृषि भूमि स्थित हैं। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के प्रत्येक बिन्दु से नेशनल हाईवे की भूमि यानि सडक से आवागमन करने का अधिकार हैं। आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 एवं तत्कालीन सरपंच ने मिलीभगत कर बेश किमती नेशनल हाईवे की परिधी में आने वाली भूमि को हडपने के लिए उक्त फर्जी पट्टा निशुल्क बनाया हैं। विपक्षी संख्या 1 ने अवैध व फर्जी रूप से मिलीभगत से अवैध व शुन्य पट्टा बनवाया तथा उक्त अवैध पट्टे के आधार प्रार्थी की भूमि में नेशनल हाईवे के प्रत्येक बिन्दु से आवागमन करने में रूकावट कारित करने के आशय से निर्माण कार्य किया व कर रहे हैं तथा ग्राम पंचायत को अवैध कृत्य करने से रोकने एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर निर्माण कार्य को हटवाने का कहने पर भी विपक्षी संख्या 1 के प्रभाव के कारण कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उक्त अवैध पट्टे के आस्तित्व में रहने से प्रार्थी के हक अधिकारो पर संकट के बादल छाये रहेंगे तथाकथित पट्टा की फोटो प्रति देखने से निशुल्क आवासीय आवंटन है, राजस्थान पंचायतीराज नियमो के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की पत्रावली कायम कर नियमानुसार ही पट्टा जारी किया जाता हैं तथा पट्टे पर सरपंच व सचिव दोनो के हस्ताक्षर करना आवश्यक हैं परन्तु आक्षेपित पट्टा की ऐसी कोई पत्रावली पंचायत में निर्मित नहीं हैं तथा आक्षेपित पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं हैं जो प्रथम दृष्टया ही फर्जी होकर काबिल खारीज के हैं। विपक्षी संख्या 1 के अलग से मकान स्थित है, वह इस तरह के पट्टे की पात्रता का अधिकारी ही नहीं था तथाकथित पट्टा अवैध होकर विधितः शुन्य है। तथाकथित पट्टे पर कोई पत्रावली नम्बर अंकित नहीं है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी पट्टा 5869 बुक न0 51 दिनांक 22.07.1985 को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार/अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खमनोर के बस स्टेण्ड से हल्दीघाटी की ओर एक आम सडक है, जिसके पूर्व दिशा में पंचायत की आबादी भूमि आराजी नम्बर 4604/1600 स्थित है, निगराकार को सडक से उसकी भूमि में जाने जाने के पर्याप्त मार्ग उपलब्ध है जबकि प्रार्थी एक भूमाफिया है, निगराकार बहुत ज्यादा अमीर होकर राजनैतिक सम्बन्ध बनाये रखता है और विपक्षी संख्या 1 गरीब व्यक्ति है, जो मजदूरी करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को लागू हुआ, और पट्टा दिनांक 22.07.1985 को जारी हो चुका था, जिससे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के कानूनी प्रावधान व नियम इस पर लागू नहीं होते है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि 4604/1600 आराजी संख्या पर कुल 13 पट्टेदार है, उक्त पट्टे सन 1983 से 1985 के मध्य जारी किये गये। जिस पर सभी आवासीय मकान बने हुए है, उक्त पट्टे सभी ग्राम पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर व सील से जारी होकर कब्जा प्रदान करवाया गया था। चूंकि



*(Handwritten signature)*

पन्नालाल द्वारा पट्टे की सभी शर्तें पूरी की गयी हैं। जिसमें उसने कच्चा मकान बना रखा था, और उस मकान में 40 वर्षों तक निवासरत था। जिससे उसे स्वामित्व व आधिपत्य प्राप्त हो चुका है। निगराकार द्वारा उक्त निगरानी केवल अपने रूपों के बल पर गरीब विपक्षीगण को परेशान कर उक्त ग्राम पंचायत की भूमि को राजनैतिक हथकण्डे अपनाकर हड़पने का प्रयास है। तथा ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति लेकर निर्माण करवाया इससे पूर्व पुराना मकान विद्यमान था। अतः प्रार्थी/निगराकार द्वारा पट्टेदार बीपीएल परिवार से सम्बन्धित होकर स्वयं के मकान से वंचित था तथा तत्कालीन पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया, जिसे दुराशयपूर्वक, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अत्यधिक विलम्ब से विपक्षी को झूठे आरोपो व मिलीभगत पर प्रश्नगत किया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका सव्यय निरस्त फरमायी जाये।

गैर निगराकार/अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया की पालन कर पंचायतीराज अधिनियम के तहत पट्टा जारी किया गया। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा पंचायतीराज अधिनियम के तहत जारी पट्टा संख्या 5869 बुक न0 51 दिनांक 22.07.1985 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा दिनांक 19.03.2021 को एक आम सूचना जारी की गयी थी जिसमें यह लिखा गया था कि ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सीमा में जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसे तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दे। प्रायः यह देखा गया है कि पूर्व सरपंचों द्वारा जारी पुराने निःशुल्क पट्टों की आड़ में गलत तरीके से ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्राप्त कर धड़ल्ले से निर्माण करवाया जा रहा है जो अवैध होकर अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। इस संबंध में हमने यह भी देखा की तहसीलदार द्वारा भी सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह लिखा गया है कि खमनोर-हल्दीघाटी रोड़ की सीमा में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। जिसको रूकवाया जाये तथा विकास अधिकारी को भी लिखा गया है तथा सरपंच द्वारा थानाधिकारी को भी एक तहरीर इस बाबत दी गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा सुरेश पिता श्री पन्नालाल लखारा को भी इस विषय में एक नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में अप्रार्थीगण जो आवंटन का आधार बताते हैं वो एक ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक निःशुल्क पट्टा दिनांक 22.07.1985 का बताते हैं जिस पर कोई पंचायत की मोहर नहीं है तथा यह पट्टा निःशुल्क जारी किया गया है और इस शर्त पर जारी किया गया है कि 2 वर्ष के अन्दर वो इस पर निर्माण कार्य कर लेवे अन्यथा उसके आवंटन को निरस्त कर दिया जायेगा और आवंटन के लगभग 40 वर्षों पश्चात भी उन्होने इस पर निर्माण कार्य करके निवास करना शुरू नहीं किया था। इस स्थिति में भूखण्ड को ग्राम पंचायत को पुनः



*[Handwritten signature]*

अपने कब्जे में लेने का पूर्ण अधिकार है। तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग अधिकार में स्थित है तो इस स्थिति में उक्त भूमि का ग्राम पंचायत को पट्टे दिये जाने का ग्राम पंचायत कोई हक अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि विवादित पट्टा निरस्त योग्य है क्योंकि इसमें आवंटन शर्तों की पालना आवंटी द्वारा नहीं की गयी है तथा यह पट्टा मार्ग अधिकार में है। यदि मार्ग अधिकार में निर्माण होता है तो इससे भविष्य में आमजन को बहुत अधिक असुविधा होगी और रास्ते में रूकावट होगी और साथ ही इण्डियन रोड कॉग्रेस के नोमर्स का भी उल्लंघन होगा। अतः ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में भी वाद तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः मैं इस पट्टे के निरस्तीकरण के संबंध में जो भी कार्यवाही की जानी है उसके क्रियान्वयन से पूर्व विकास अधिकारी खमनोर को निर्देशित करता हूँ कि इस न्यायालय के निर्णय की प्रति माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करके समुचित आदेश प्राप्त करें। तथा समुचित आदेश प्राप्त करने के पश्चात ही इसमें मौके पर कोई कार्यवाही की जाए।

### :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खमनोर जारी पट्टा संख्या 5869 दिनांक 22.07.1985 को निरस्त किया जाता है तथा विकास अधिकारी खमनोर को निर्देशित किया जाता है कि इस पट्टे के निरस्तीकरण के संबंध में जो भी कार्यवाही की जानी है उसके क्रियान्वयन से पूर्व इस न्यायालय के निर्णय की प्रति माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करके समुचित आदेश प्राप्त करें। तथा समुचित आदेश प्राप्त करने के पश्चात ही इसमें मौके पर कोई कार्यवाही की जाए। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी खमनोर तथा निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत खमनोर की पत्रावली ग्राम पंचायत खमनोर को भिजवायी जावे।

  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद